उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

ज्ञापांक:-................/सा० सु०, हजारीबाग दिनांक-............/2020

संशोधित ई०-निविदा आमंत्रण सूचना से संबंधित प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हजारीबाग जिला अधीन गरीबी रेखा के नीचे जीवन-बसर का रहें व्यक्तियों यथा वृद्धों, दिव्यागो, भूमिहीनों, बंधुवा मजदूरी से मुक्त कराये गये लोगों तथा भिक्षुकों को जाड़े में ठंड से बचाव हेतु कम्बल की आपूर्ति हेतु दिनांक-25.11.2020 से 01.12.2020 तक अपराहन 05:00 बजे तक सभी कार्य दिवस में ई०-निविदा आमंत्रित किया जाता है। **निविदा प्रपत्र का मूल्य (Non Refundable) राष्ट्रीयकृत बैंक से 10,000.00 (दस हज़ार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, हजारीबाग के पदनाम से होगा।** Tender Fee,Emd & Hard Copy एवं संबंधित कम्बल का नमूना दिनांक-02.12.2020 के 05:00 बजे अपराहन तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हजारीबाग में जमा ली जायेगी। केवल उन्हीं निविदा को सम्मिलित किया जायगा जो निर्धारित समय सीमा के अंदर ई०-निविदा एवं निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि की मूल प्रति एवं कम्बल का नमूना जमा कर दें। जो दिनांक-03.12.2020 को 03:00 बजे अपराहन उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष खोला जायेगा। ई०-निविदा jharkhandtenders.gov.in Website पर Upload करना अनिवार्य होगा। अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजातों के मूल प्रति स्पष्ट रूप से लाना अनिवार्य होगा।

निविदा की शर्तें:-

क्र० सं०	सामाग्री का नाम	अनुमानित संख्या	अनुमानित मूल्य	अग्रधन की राशि-2.5%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ऊनी कम्बल	35,700		2,50,000/-

2- ऊनी कम्बल का साईज-60"X90" वजन कम से कम 2.00 कि० ग्रा० होनी चाहिये, जिस पर "झारखण्ड सरकार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विबाग, झारखण्ड, राँची" का लोगो (Logo) लगाना अनिवार्य होगा।

(ग) **तकनीकी बीड की शर्तें :-**

vii. इच्छुक निविदादाता मुहरबन्द लिफ़ाफ में दिनांक-02.12.2020 को 05.00 बजे अपराहन तक समाहरणालय, हजारीबाग स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हजारीबाग में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदाएँ दिनांक-03.12.2020 को 03:00 बजे अपराहन उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, हजारीबाग में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय कम्बल के नमुने के साथ निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

viii. निविदा के साथ GST निबंधन पत्र, अंतिम अवधि के लिए लागु Form-3B, GST Returns (त्रैमासिक), Pan Card एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष-2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के आयकर Return की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ix. पूर्व के तीन-चार बर्षो में आपूर्ति की गई कम्बलों की संख्या सहित स्वघोषणा जिसमें वर्षवार/कार्यालयवार आपूर्ति किये गये कम्बलों की संख्या वर्णित हो "कार्यदेश की प्रति संलग्न करें"।

x. निविदादाता निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 2,50,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, हजारीबाग के पदनाम से देना होगा।

xi. निविदा के उपरांत जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत किया जायेगा उन्हें 24 घण्टे के अंदर अनुमानित राशि का दस प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/चेक देना होगा।

xii. निविदादाता को पूर्व में कार्य नहीं करने के आरोप में काली सूची में नहीं डाला गया है, इसका स्वघोषणा पत्र देना होगा।

(घ) वित्तीय बीड की शर्तें:-

निविदा में कम्बल का पूर्ण विवरण (साईज़, वजन एवं मूल्य) तथा सभी कर आदि सहित शुद्ध कर (Net Price) अंकों एवं शब्दों में Type किया जाय।

xi. एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को एक ही कम्बल की विवरणी एवं नमुना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक कम्बल की विवरणी मान्य नहीं होगा। बिना नमुना के निविदा पर पर विचार नहीं किया जाएगा।

xii. निविदा का निष्पादन मूलतः गुणवत्ता एवं दर के आधार पर किया जायगा।

xiii. वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता गलत तथ्य प्रस्तुत करते है या तथ्यों को छुपाते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

xiv. आपूर्ति किये गये कम्बल निविदा में प्रस्तुत किये गये नमुना के अनुरूप होना चाहिये, अगर किसी तरह की भिन्नता पाई गई तो आपूर्तिकर्ता पर भा०द० संहिता के अंतर्गत आवश्यक कानुनी कार्रवाई की जायेगी तथा उनके द्वारा किसी प्रकार के भुगतान के दावा मान्य नहीं होगा।

xv. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई भी हथालन एवं परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा एवं कम्बलों के हजारीबाग जिला अधीन चिन्हित प्रखंडों/नगर निगम कार्यालय में आपूर्ति करना होगा।

xvi. सफल निविदादाता को के आदेश के दस दिनों में स्वीकृत नमुना के अनुरूप कम्बल आपूर्ति हजारीबाग जिला में सभी प्रखंडों में जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य/संख्या के अनुरूप आपूर्ति करना अनिवार्य होगा एवं कम्बल आपूर्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, हजारीबाग में जमा करना होगा, इसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से भुगतान नहीं किया जायगा।

xvii. निर्धारित तिथि के अंदर आपूर्ति नहीं होने पर जमानत राशि जब्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी तथा अन्य निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिया जायगा।

xviii. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायगा।

xix. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

xx. आवश्यक प्रतीत होने पर एक से अधिक निविदादाता को आपूर्ति करने का आदेश दिया जा सकता है।

ह०/-
उपायुक्त,हजारीबाग।

ज्ञापांक:-...639...../सा० सु०, हजारीबाग दिनांक-24/11/2020

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त विवरणी को www.hazaribaagh.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,हजारीबाग